7-7-15 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर खानपुरबडौदा में पेश हुई। वादी व प्रतिवादी गण उपस्थित हैं।

रामचरण तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम प्राप्त हुई है। पक्षकारों ने राजीनामा इस

बाबूलाल आशय का पेश किया है कि ग्राम खानपुरबडौदा की भूमि ख०नं० $\frac{283}{0.44}$ में पूर्व दिशा की ओर का २२ एयर रकबा बाबूलाल का, पश्चिम की ओर का २२ एयर रकबा रामचरण का, ख०नं० $\frac{1072}{0.36}$ में पूर्व की ओर का 18 एयर रकबा रामचरण का व पश्चिम की ओर का 18 एयर रकबा बाबूलाल का रहेगा। इसी अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन कर दिया जावे।

अतः प्रस्तुत विभाजन स्कीम व राजीनामे के अनुसार दावा फाइनल डिक्री निम्न प्रकार किया जाता है :-

(1) ग्राम खानपुरबडौदा की भूमि ख०नं० 283 में रकबा २२ एयर (पूर्व दिशा की ओर का), ख०नं० 1072 में रकबा 18 एयर (पश्चिम दिशा की ओर का) कुल रकबा 40 एयर प्रतिवादी बाबूलाल की खातेदारी में दर्ज रहेगा।

(2) ग्राम खानपुरबडौदा की भूमि ख०नं० 283 में २२ एयर रकबा (पश्चिम दिशा की ओर का), ख०नं० 1072 में रकबा 18 एयर (पूर्व दिशा की ओर का) कुल रकबा 40 एयर वादी रामचरण की खातेदारी में दर्ज रहेगा।

पक्षकारों के मध्य इसी अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है। दोनों के पृथक पृथक नम्बर कायम किए जाकर पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार दुरुस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रवि कुमार शर्मा)
सदस्य
लोक अदालत

(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

[illegible] गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible]/2013	22.10.2013	18.06.2014

रामचरण पुत्र रामपाल जाति गुर्जर निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी ---वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र रामपाल जाति गुर्जर निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
3. राजस्थान सरकार जरिए जिलाकलेक्टर सवाई माधोपुर ---प्रतिवादीगण

दावा घोषणां, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री ओमप्रकाश शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

श्री भानुकुमार सिंघल, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादी हिन्दु संयुक्त परिवार के एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं । पक्षकारों के पूर्वज गेंदया की पैत्रक कृषि भूमि गैंदया के मरने के बाद 1/2 हिस्सा रामपाल को प्राप्त हुई व 1/2 हिस्सा अर्जुन को प्राप्त हुई । रामपाल के फौत हो जाने के के बाद रामपाल द्वारा छोडी हुई कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा वादी रामचरण व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी बाबूलाल का बनता है क्योंकि रामपाल के दो ही उत्तराधिकारी व वारिस हैं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत रामपाल की पैत्रक भूमि में 1/2 हिस्से मे वादी रामचरण का नाम दर्ज हुआ व 1/2 हिस्से में बाबूलाल प्रतिवादी का नाम दर्ज हुआ परन्तु रेवेन्यु कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ख0नं0 283 रकबा 44 एयर, 1072 रकबा 36 एयर में जमाबंदी में वादी का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी का हिस्सा 3/4 गलत दर्ज कर दिया जबकि वादी एवं प्रतिवादी बाबूलाल दोनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए था। वादी एवं प्रतिवादी बाबूलाल ने अपनी कुल पैत्रक भूमि का एक्सचेंज अुर्जन से किया था और औरतों को स्टाम्प ड्यूटी में कानून में छूट होने के कारण बदले में प्राप्त ख0नं0 284 रकबा 42 एयर, ख0नं0 273 रकबा 47 एयर को वादी व प्रतिवादी दोनों ने 1/2, 1/2 हिस्सा अपनी पत्नियों के नाम दर्ज कराया था। हाल ख0नं0 268 रकबा 49 एयर ग्राम खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी जो कि वादी व प्रतिवादी बाबूलाल की पैत्रक भूमि थी जिसको दोनों ने श्रीमती गोपाल पत्नि निरंजन जाति गुर्जर निवासी खानपुरबडौदा को संयुक्त रूप से बेचकर विक्रय राशि वादी व प्रतिवादी बाबूलाल दोनों ने 1/2, 1/2 हिस्सा लिया है, ख0नं0 283 व 1072 मरिकार्ड मे प्रतिवादी बाबूलाल के नाम 3/4 हिस्सा 1/2 हिस्से की जगह दर्ज होने से गलत इन्द्राज का लाभ लेने की नियत से प्रतिवादी ने वादी को दिनांक 10.8.2013 को एलानिया धमकी दी कि वह ख0नं0 283 व 1072 में 3/4 हिस्से को बेच कर रहेगा तथा वादी को 1/4 हिस्से में काश्त नहीं करने देगा । अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर ख0नं0 283 रकबा 44 एयर, ख0नं0 1072 रकबा 36 एयर कुल रकबा 80 एयर ग्राम खानपुरबडौदा मे वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर रेवेन्यु रिकार्ड में प्रतिवादी बाबूलाल का हिस्सा 3/4 व वादी का हिस्सा 1/4 को दुरूस्त कर दोनों को बराबर बराबर हिस्सा दर्ज किया जावे । वादी को उपयोग उपभोग में बाधा व अडचन पैदा नहीं करने के लिए एव प्रतिवादी द्वारा 1/2 हिस्से से ज्यादा कृषि भूमि रहन बय नहीं करने के लिए प्रतिवादी को पाबंद फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जरिये नोटिस की गई। प्रतिवादी नं0 2, 3 बाबजुद तामील [illegible] नहीं हुए । अतः प्रतिवादी नं0 2, 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं0 1 ने अपने जबाब एवं काउन्टर क्लेम में अंकित किया है कि प्रतिवादी वर्तमान मे संयुक्त हिन्दु परिवार का सदस्य नहीं है । संयुक्त हिन्दु परिवार को विघटित हुए काफी वर्ष हो चुके हैं। प्रतिवादी ने दिनांक 10.8.13 को या अन्य दिन वादी को कभी धमकी नहीं दी है। वादी ने तथ्य मनगढन्त दर्ज किए हैं। जवाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि ख0नं0 283 व 1072 में वादी व प्रतिवादी का 1/2– 1/2 हिस्सा है तथा इसी अनुसार मौके पर वादी व प्रतिवादी का कब्जा काश्त

... व प्रतिवादी को मीट्स एण्ड बाउन्ड्स से 1/2– 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विभाजन किया जाकर अपना अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी जबाबदार की सप्रेट खातेदारी में दर्ज किए जाने में तथा इसी अनुसार रिकार्ड में दुरूस्ती की जाने में मिन प्रतिवादी को कोई आपत्ती नहीं है। साथ ही वादी को जरिए निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह प्रतिवादी जबाबदार के हिस्से की सप्रेट खातेदारी में कोई मजाहमत पैदा नहीं करे ताकि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। अतः जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि दावा वादी मुताबिक जबाब दावा फैसल फरमाया जावे एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर ख0नं0 283 रकबा 44 एयर, ख0नं0 1032 रकबा 36 एयर कुल रकबा 80 एयर ग्राम खानपुरबडौदा में से प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा यानि 40 एयर की प्रतिवादी के नाम सप्रेट खातेदारी दर्ज की जाकर प्रतिवादी के हिस्से की आराजी का नया नम्बर डालकर रिकार्ड में इसी अनुसार दुरूस्ती की जावे । वादी को पाबंद किया जावे कि वह प्रतिवादी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत पैदा नहीं करे ।

काउन्टर क्लेम के जबाब में वादी ने अंकित किया है कि ख0नं0 283 रकबा 44 एयर, ख0नं0 1032 रकबा 36 एयर कुल रकबा 80 एयर ग्राम खानपुरबडौदा में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा है परन्तु रेवेन्यु रिकार्ड में गलती से वादी का 1/4 व प्रतिवादी का हिस्सा 3/4 दर्ज होने से वादी ने घोषणां, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु प्रतिवादी बाबूलाल ने जबाब दावा काउन्टर क्लेम में वादी का 1/2 हिस्सा स्वीकार कर लिया और उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी का सप्रेट करने का काउन्टर क्लेम पेश किया है जिसे वादी स्वीकार करता है। अब दावे में तनकी कायम करना आवश्यक नहीं रह जाता है। काउन्टर क्लेम बंटवारा का मांगा है जो वादी ने स्वीकार कर लिया है ऐसी सूरत में ख0नं0 283 रकबा 44 एयर, ख0नं0 1032 रकबा 36 एयर कुल रकबा 80 एयर ग्राम खानपुरबडौदा में से वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर 40 एयर वादी व 40 एयर प्रतिवादी को मीट्स एण्ड बाउन्ड में अलग अलग खातेदारी दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः बिना साक्ष्य के वादी का दावा डिक्री फरमाया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन स्कीम पटवारी से मंगवाई जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने फोटोकोपी विक्रय पत्र दिनांक 26.9.2006, नकल जमाबंदी सं0 2065 से 2068, नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072, असल पर्चा भू–प्रबंध विभाग, असल पासबुक किस्तूरी बेवा रामपाल, बाबूलाल, रामचरण, असल पासबुक रूमालीदेवी पत्नि बाबूलाल व प्रेमदेवी पत्नि रामचरण, नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 पेश की है।

पत्रावली में तारीख पेश कायमी तनकी हेतु नियत चली आ रही थी परन्तु वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के वकील इस बात पर सहमत हुए कि वादी का दावा एवं प्रतिवादी नं0 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर ख0नं0 283 रकबा 44 एयर, ख0नं0 1032 रकबा 36 एयर कुल रकबा 80 एयर ग्राम खानपुरबडौदा में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया जावे तथा इसी अनुसार रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर दोनों के मध्य भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन भी किया जाकर दोनों के खाते अलग अलग कायम कर दिए जावें।

वकील उभयपक्ष के इस आग्रह पर पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 ग्राम खानपुरबडौदा के अनुसार भूमि ख0नं0 1088/1189 किस्तूरी बेवा रामपाल, बाबूलाल, रामचरण पुत्रान रामपाल की खातेदारी में दर्ज है। असल पर्चा भू–प्रबन्ध विभाग के अनुसार ख0नं0 268, 283, 1072 रामपाल पुत्र गेंदया गूजर की खातेदारी में दर्ज है। इन दोनों दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 रामपाल की संतानें हैं एवं रामपाल की जो भूमि इनके नाम आई है उसमें इन दोनों का बराबर बराबर हिस्सा है। वर्तमान जमाबंदी में प्रतिवादी नं0 1 का हिस्सा 3/4 एवं वादी का हिस्सा 1/4 दर्ज किया गया है । दोनों ही पक्ष इसे 1/2–1/2 दर्ज करने पर सहमत हैं एवं इसी अनुसार भूमि का विभाजन करने पर सहमत हैं। फलस्वरूप वादी

का वाद एवं प्रतिवादी नं0 1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादी नं0 1 का हिस्सा बराबर बराबर दर्ज किया जाना तथा भूमि का दोनों पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वाद वादी एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी नं0 1 स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0 283 रकबा 44 एयर, ख0नं0 1072 रकबा 36 एयर कुल रकबा 80 एयर ग्राम खानपुरबडौदा में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इन नम्बरों में दर्ज वर्तमान इन्द्राज निरस्त किए जाकर वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे एवं इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। भूमि ख0नं0 283 रकबा 44 एयर, ख0नं0 1072 रकबा 36 एयर कुल रकबा 80 एयर ग्राम खानपुरबडौदा में घोषित किए गए उपरोक्त हिस्से के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से उपरोक्त वर्णित भूमि की विभाजन स्कीम तैयार कर मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियो में इस न्यायालय को भिजवाने हेतु नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी को रू0 300/– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वह उपरोक्त वर्णित भूमि के मौके पर जाकर उपरोक्त वर्णित भूमि में दर्ज पक्षकारों के हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन स्कीम तैयार कर मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियो मे इस न्यायालय को भिजवावें । प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2014 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

रामचरण पुत्र रामपाल जाति गुर्जर निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी ---वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र रामपाल जाति गुर्जर निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
3. राजस्थान सरकार जरिए जिलाकलेक्टर सवाई माधोपुर ----प्रतिवादीगण

दावा घोषणां, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 178/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व **हाजरी** श्री ओमप्रकाश शर्मा, एडवोकेट **मिनजानिब मुद्दई** श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट **मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है** व वाद वादी एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी नं0 1 स्वीकार किया जाकर भूमि ख0नं0 283 रकबा 44 एयर, ख0नं0 1072 रकबा 36 एयर कुल रकबा 80 एयर ग्राम खानपुरबडौदा में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इन नम्बरों में दर्ज वर्तमान इन्द्राज निरस्त किए जाकर वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे एवं इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। भूमि ख0नं0 283 रकबा 44 एयर, ख0नं0 1072 रकबा 36 एयर कुल रकबा 80 एयर ग्राम खानपुरबडौदा में घोषित किए गए उपरोक्त हिस्से के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से उपरोक्त वर्णित भूमि की विभाजन स्कीम तैयार कर मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियो में इस न्यायालय को भिजवाने हेतु नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी को रू0 300/-- फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है कि वह उपरोक्त वर्णित भूमि के मौके पर जाकर उपरोक्त वर्णित भूमि में दर्ज पक्षकारों के हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन स्कीम तैयार कर मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियो में इस न्यायालय को भिजवावें ।

आज दिनांक 18.06.2014 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई ।

उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प पर्ची		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

18

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) खानपुरबडौदा

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. रामचरण पुत्र रामपाल, गुर्जर निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र रामपाल, गुर्जर निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुरसिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
3. राजस्थान सरकार जरिए जिलाकलेक्टर सवाईमाधोपुर ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 178/2013

वादी की ओर से वादी रामचरण व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी बाबूलाल की उपस्थिति इस वाद मे आज तारीख 7.7.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निप के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार दावा फाइनल डिक्री निम्न प्र किया जाता है:–

1. ग्राम खानपुरबडौदा की भूमि ख0नं0 283 में रकबा 22 एयर (पूर्व दिशा की ओर), ख0नं0 107 रकबा 18 एयर (पश्चिम दिशा की ओर का) कुल रकबा 40 एयर प्रतिवादी बाबूलाल की खातेदारी दर्ज रहेगा।
2. ग्राम खानपुरबडौदा की भूमि ख0नं0 283 में रकबा 22 एयर (पश्चिम दिशा की ओर का), ख 1072 में रकबा 18 एयर (पूर्व दिशा की ओर का) कुल रकबा 40 एयर वादी रामचरण की खा में दर्ज रहेगा।

पक्षकारों के मध्य इसी अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है। दोनों के पृथक पृ नम्बर कायम किए जाकर पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं जमाबंदी व नक्शा ट्रेस इसी अनुसार दुरूस्ती की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 7.7.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

पीठासीन अधिकारी श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
178/2013	22.10.2013	18.06.2014

रामचरण पुत्र रामपाल जाति गुर्जर निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी ---वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र रामपाल जाति गुर्जर निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
3. राजस्थान सरकार जरिए जिलाकलेक्टर सवाई माधोपुर ---प्रतिवादीगण

दावा घोषणां, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित:-- श्री ओमप्रकाश शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

श्री भानुकुमार सिंघल, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादी हिन्दु संयुक्त परिवार के एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं । पक्षकारों के पूर्वज गेंदया की पैत्रक कृषि भूमि गैंदया के मरने के बाद 1/2 हिस्सा रामपाल को प्राप्त हुई व 1/2 हिस्सा अर्जुन को प्राप्त हुई । रामपाल के फौत हो जाने के के बाद रामपाल द्वारा छोडी हुई कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा वादी रामचरण व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी बाबूलाल का बनता है क्योंकि रामपाल के दो ही उत्तराधिकारी व वारिस हैं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत रामपाल की पैत्रक भूमि में 1/2 हिस्से में वादी रामचरण का नाम दर्ज हुआ व 1/2 हिस्से में बाबूलाल प्रतिवादी का नाम दर्ज हुआ परन्तु रेवेन्यु कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ख0नं0 283 रकबा 44 एयर, 1072 रकबा 36 एयर में जमाबंदी में वादी का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी का हिस्सा 3/4 गलत दर्ज कर दिया जबकि वादी एवं प्रतिवादी बाबूलाल दोनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए था। वादी एवं प्रतिवादी बाबूलाल ने अपनी कुल पैत्रक भूमि का एक्सचेंज अुर्जन से किया था और औरतों को स्टाम्प ड्यूटी में कानून में छूट होने के कारण बदले में प्राप्त ख0नं0 254 रकबा 42 एयर, ख0नं0 273 रकबा 47 एयर को वादी व प्रतिवादी दोनों ने 1/2, 122 हिस्सा अपनी पत्नियों के नाम दर्ज कराया था। हाल ख0नं0 268 रकबा 49 एयर ग्राम खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी जो कि वादी व प्रतिवादी बाबूलाल की पैत्रक भूमि थी जिसको दोनों ने श्रीमती गोपाल पत्नि निरंजन जाति गुर्जर निवासी खानपुरबडौदा को संयुक्त रूप से बेचकर विक्रय राशि वादी व प्रतिवादी बाबूलाल दोनों ने 1/2, 1/2 हिस्सा लिया है। ख0नं0 283 व 1072 मरिकार्ड मे प्रतिवादी बाबूलाल के नाम 3/4 हिस्सा 1/2 हिस्से को जगह दर्ज होने से गलत इन्द्राज का लाभ लेने की नियत से प्रतिवादी ने वादी को दिनांक 10.8.2013 को एलानिया धमकी दी कि वह ख0नं0 283 व 1072 में 3/4 हिस्से को बेच कर रहेगा तथा वादी को 1/4 हिस्से में काश्त नहीं करने देगा । अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर ख0नं0 283 रकबा 44 एयर, ख0नं0 1072 रकबा 36 एयर कुल रकबा 80 एयर ग्राम खानपुरबडौदा मे वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर रेवेन्यु रिकार्ड में प्रतिवादी बाबूलाल का हिस्सा 3/4 व वादी का हिस्सा 1/4 को दुरूस्त कर दोनों को बराबर बराबर हिस्सा दर्ज किया जावे , वादी को उपयोग उपभोग में बाधा व अडचन पैदा नहीं करने के लिए एवं प्रतिवादी द्वारा 1/2 हिस्से से ज्यादा कृषि भूमि रहन बय नहीं करने के लिए प्रतिवादी को पाबंद फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये प्रतिवादीगण जरिये नोटिस की गई। प्रतिवादी नं0 2, 3 बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुए । अतः प्रतिवादी नं0 2, 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं0 1 ने अपने जवाब एवं काउन्टर क्लेम में अंकित किया है कि प्रतिवादी वर्तमान मे संयुक्त हिन्दु परिवार का सदस्य नहीं है । संयुक्त हिन्दु परिवार को विघटित हुए काफी वर्ष हो चुके हैं। प्रतिवादी ने दिनांक 10.8.13 को या अन्य दिन वादी को कभी धमकी नहीं दी है। वादी ने तथ्य मनगढन्त दर्ज किए हैं। जवाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि ख0नं0 283 व 1072 में वादी व प्रतिवादी का 1/2-- 1/2 हिस्सा है तथा इसी अनुसार मौके पर वादी व प्रतिवादी का कब्जा काश्त